

कार्यालय / न्यायालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)  
// परिपत्र //

क्रमांक-क्यू/2020

उज्जैन, दिनांक-19.06.2020

यह भी तथ्य मेरे सामने लाये गये हैं कि जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण होता है, वे स्वीकार किये गये हैं अथवा अस्वीकार किये गये हैं, इसकी जानकारी पक्षकार एवं अधिवक्ताओं को नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सिस्टम ऑफिसर ने यह सुझाव दिया कि इस संबंध में एक एक्सल शीट रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट को और आवश्यक मामलों का निराकरण करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें उस एक्सल शीट में परिणाम या आगामी तिथि दर्ज कर वे उसका मेल सिस्टम ऑफिसर या सिस्टम एनालिस्ट को भेजेंगे, ताकि वे की गई कार्यवाही को सार्वजनिक कर सकें और जानकारी चाहने वाले को दे सकें।



19/6/2020  
(श्यामकांत कुलकर्णी)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां० क्रमांक-क्यू-1/2020  
प्रतिलिपि-

उज्जैन, दिनांक-19.06.2020

- 1 समस्त न्यायाधीशगण,
- 2 समस्त कर्मचारीगण,  
न्यायालय-उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, उज्जैन
- 4 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
- 6 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन  
की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



19/6/2020  
(श्यामकांत कुलकर्णी)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)